प्रेषिका,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहजहॉपुर।

सेवा में,

माननीय उपनिबंधक,
एडमिन ए–1 अनुभाग,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश
शाहजहॉपुर।

विषयः– आपके पत्र दिनांकित 07–02–2022 के सम्बंध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रार्थिनी द्वारा परास्नातक की उपाधि धारक को मिलने वाली तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर आपके द्वारा प्रार्थिनी से स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है।

इस संदर्भ में प्रार्थिनी का यह निवेदन है कि प्रार्थिनी के विधि परास्नातक के पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर अर्थात् चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम दिनांक 07/02/2009 को घोषित किया गया था। प्रार्थिनी के चतुर्थ सेमेस्टर की अंकतालिका खो जाने के कारण प्रार्थिनी ने उसकी दूसरी अंकतालिका प्राप्त की, जिस पर दिनांक 20/07/2010 की अंकतालिका की निर्गत किये जाने की तिथि अंकित है। प्रार्थिनी द्वारा इस न्यायिक सेवा में नियुक्त होने से पूर्व ही अपना एल.एल.एम. का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया गया था। जिसके संदर्भ में प्रार्थिनी द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से पत्राचार कर अपने उपरोक्त सभी सेमेस्टरों की परीक्षा दिये जाने की तिथि तथा उसके परीक्षाफल घोषित किये जाने की तिथि के संदर्भ में सूचना मांगी थी। जिसके सम्बन्ध में लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या ई0डी0/2009/22 दिनांक 13–06–2022 द्वारा प्रार्थिनी के एल.एल.एम. के चारों सत्रों एवं चारों सत्रों के परीक्षाफल घोषित होने की तिथि का विवरण प्रदान किया गया था, जिसकी प्रति प्रार्थिनी इस पत्र के साथ संलग्न कर रही है।

अतः माननीय महोदय से सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी के उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर सदायशतापूर्वक विचार करते हुए प्रार्थिनी को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 04–07–2022

प्रार्थिनी,

आभा पाल,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहजहॉपुर।

**संलग्नकः–**

लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के पत्र संख्या ई0डी0/2009/22 दिनांक 13–06–2022 की प्रति, एल.एल.एम की तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट एवं डिग्री की प्रतियां।